अपीलीय वाद संख्या– 19/2019

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

विषय– मे0 राहुल इन्टरप्राईजेज, पटल बाबू रोड, भागलपुर के अपील आवेदन पर कृषि निदेशक द्वारा की गयी सुनवाई एवं पारित आदेश।

कृषि निदेशालय के पत्रांक 4854 दिनांक 01.10.19 द्वारा मे0 राहुल इन्टरप्राईजेज, पटल बाबू रोड, भागलपुर प्रो0– सदानन्द महतो को कृषि निदेशक के समक्ष दिनांक 10.10.19 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सुनवाई हेतु उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया था।

दिनांक 10.10.19 को निर्धारित समय 11:00 बजे कृषि निदेशक द्वारा मामले से संबंधित सुनवाई शुरू की गयी।

उपस्थिति–

1. श्री सदानन्द महतो, प्रो0– मे0 राहुल इन्टरप्राईजेज, पटल बाबू रोड, भागलपुर
2. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान
3. संबंधित सहायक

संयुक्त निदेशक (शष्य) भागलपुर कार्यालय का पक्ष :– संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान के द्वारा मामले को प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि मे0 राहुल इन्टरप्राईजेज, पटल बाबू रोड, भागलपुर को संयुक्त निदेशक (शष्य) भागलपुर कार्यालय से बीज अनुज्ञप्ति संख्या–04/2010–11 प्राप्त हुआ था, जिसकी वैधता तिथि 31.03.19 तक थी। प्रतिष्ठान के द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन वैधता तिथि समाप्ति के पश्चात जून माह में अनुज्ञप्ति प्राधिकार (संयुक्त निदेशक (शष्य) भागलपुर) के समक्ष समर्पित किया गया था। विलम्ब से आवेदन प्राप्त होने के कारण कार्यालय पत्रांक 971 दिनांक 25.06.19 द्वारा इनके अनुज्ञप्ति नवीकरण आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है।

आवेदक का पक्ष :– सुनवाई में आवेदक द्वारा साक्ष्य के साथ अपने पक्ष को रखते हुए बताया गया कि नवीकरण समाप्ति के दौरान अपने बच्चे के बिमारी के ईलाज के क्रम में राज्य से बाहर जाने के कारण निर्धारित समय पर अनुज्ञप्ति प्राधिकार (संयुक्त निदेशक (शष्य) भागलपुर) के समक्ष नवीकरण आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके कारण प्राधिकार द्वारा मेरे अनुज्ञप्ति नवीकरण आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। उक्त परिस्थिति में पुनः अनुज्ञप्ति बहाल करते हुए अनुज्ञप्ति नवीकरण का अनुरोध आवेदक द्वारा किया गया।

आदेश :– मे0 राहुल इन्टरप्राईजेज, पटल बाबू रोड, भागलपुर के मामले की सुनवाई से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिष्ठान के प्रो0 सदानन्द महतो के अपने अनुज्ञप्ति नवीकरण के दौरान बच्चे की ईलाज कराने हेतु राज्य से बाहर जाना पड़ा, जिसके कारण उनके समक्ष इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई एवं निर्धारित समय पर नवीकरण आवेदन समर्पित नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में बीज व्यवसाय हेतु नये आवेदन करने हेतु मौका नहीं दिया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः उक्त के आलोक में प्रतिष्ठान मेसर्स राहुल इन्टरप्राईजेज को नई बीज अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन संयुक्त निदेशक (शष्य) भागलपुर के समक्ष करने की अनुमति दिया जाता है।

16.10.19

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना

D:\Karvalav Adesh\11.10.19.docx

ज्ञापांक– 9/उपा0/बीज (विविध)/अपील–19/2019 5036 दिनांक– 16-10-19

प्रतिलिपि–

1. संयुक्त निदेशक (शष्य) भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।
3. मे0 राहुल इन्टरप्राईजेज, पटल बाबू रोड, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.10.19

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना